

न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

झापांक 2403/विधि

सहरसा, दिनांक 26-8-2023

प्रतिलिपि :- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सहरसा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुनः वाद सं०-66/2021 में दिनांक-21.08.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है। साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय आँगनबाड़ी अपील वाद सं०-258/2021 से संबंधित अभिलेख (आदेश फलक-01, अन्य कागजात कुल-59 पन्ने मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यद्योपरि।

प्रतिलिपि :- श्रीमती सुधा कुमारी, पति-श्री राजन कुमार सिंह / श्रीमती नीतू कुमारी, पति-स्व० अमित कुमार सिंह, दोनों ग्राम पंचायत-मंगवार, प्रखंड-सोनवर्षा, जिला-सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- आई०वी०मैनेजर, समाहरणालय, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि  
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आदेश पत्रक - ता०.....

जिला.....

से.....

सं०.....

तक.....

केस का प्रकार.....

सन् १९.....

आदेश की  
क्रम संख्या  
किस तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
स्वीकार्यता के बारे में  
टिप्पणी,  
तारीख-सहित  
३**न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा****आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या-66/2021****सुधा कुमारी.....पुनरीक्षणकर्ता****-बनाम-****राज्य एवं अन्य.....रेसपॉण्डेन्ट****-:: आदेश ::-**

प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षणवाद सुधा कुमारी, पति-राजन कुमार सिंह, ग्राम पंचायत-मंगवार, वार्ड नं०-०५, प्रखंड-सोनवर्षा, जिला-सहरसा के द्वारा न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सहरसा के द्वारा आँगनबाड़ी अपील वाद सं०-२५८/२०२१ सुधा कुमारी बनाम नीतू कुमारी, राज्य एवं वगैरह में दिनांक ३०.०६.२०२१ को पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु लाया गया है।

दिनांक ०८.०८.२०२३ को सुनवाई के क्रम में वाद को आदेश पर लिया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सहरसा के द्वारा उपरोक्त अपीलवाद में पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद विभागीय मार्गदर्शिका पत्रांक ९९० दिनांक ०५.०४.२०१६ के आलोक में सेविका चयन से संबंधित है। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, २०१६ की कंडिका-१३ में स्पष्ट वर्णित है कि "जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध ३० दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी जो कि स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता सुनवाई के लिए प्राधिकृत होंगे तथा जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्ता के द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा।" बाल विकास सेवाएँ (ICDS), निदेशालय, बिहार (समाज कल्याण विभाग) के पत्रांक-१७८० दिनांक ०५.०३.२०२० से सेविका/सहायिका चयन से संबंधित परिवादों के त्वरित निष्पादन हेतु मार्गदर्शिका के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए निदेश दिया गया है कि "जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन



मामलों में लागू होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।” उक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय के स्तर पर पोषणीय नहीं पाते हुए खारिज किया जाता है। पुनरीक्षणकर्ता चाहें तो 30 दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में पुनरीक्षण आवेदन दायर कर सकते हैं। जिला पदाधिकारी इस न्यायालय में वाद लम्बित होने के आधार पर विलम्ब क्षांत करते हुए वाद को अंगीकृत करेंगे तथा आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 के आलोक में उचित आदेश पारित करेंगे। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

प्रमंडलीय आयुक्त  
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

प्रमंडलीय आयुक्त  
कोशी प्रमंडल, सहरसा